हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.2(49)एचजेयू/प्रशा/मीटिंग/प्रबो–IV/2020/13035 दिनांक : 30.4.2022

प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.04.2022 का कार्यवाही विवरण

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 23 के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.04.2022 को 11.30 बजे प्रशासनिक भवन, "मन्थन" सभागार, द्वितीय तल, डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में प्रबंध बोर्ड के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1	डॉ. देव स्वरूप	कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
2	श्री अरुण जोशी	अतिरिक्त निदेशक, डीआईपीआर (प्रमुख शासन सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वारा नामनिर्देशित), एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
3	श्री सुमेर सिंह	कोषाधिकारी, कोषागार जयपुर प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, नामनिर्देशिती वित्त विभाग एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
4	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग (शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्देशित), एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
5	श्री वासिन्द्र मिश्र	कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर **ऑनलाइन सहभागिता**
6	श्रीमती सुनीता ऐरन	कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर **ऑनलाइन सहभागिता**
7	प्रो. अपूर्वानन्द	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

8	श्री अमर सिंह राठौड़	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
9	श्री संयम लोढा	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित राज्य विधानमण्डल के सदस्य एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
10	डॉ. ऋचा यादव	कुलपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित संकाय अध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर
11	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	कुलपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित संकाय अध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर
12	श्री अबु सुफियान चौहान	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
13	श्रीमती कुसुम धारवाल	वित्त नियंत्रक, एचजेयू एवं विशेष आमंत्रित सदस्य
14	प्रो. ए. के. नगावत	वरिष्ठ परामर्शदाता (शैक्षणिक एवं विनियमन), एचजेयू एवं विशेष आमंत्रित सदस्य
15	डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव	परीक्षा नियंत्रक, एचजेयू एवं विशेष आमंत्रित सदस्य

बैठक का आरंभ नवीन कुलपति डॉ. देव स्वरूप के द्वारा सभी सदस्यों के अभिवादन, स्वागत एवं परिचय से किया गया। तत्पश्चात सभी सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति श्री ओम थानवी के विश्वविद्यालय की वैश्विक महामारी के बावजूद इसके वैशिष्ट्य अनुरूप स्वरूप प्रदान करने तथा दिशा एवं ध्येय निर्धारित करने के लिए सराहना की एवं उनके उल्लेखिनीय योगदान को रेखाकिंत करते हुए प्रबंध बोर्ड ने श्री थानवी का आभार व्यक्त किया। तदुपरांत बोर्ड के सदस्यों ने नवीन कुलपति डॉ. देव स्वरूप का स्वागत और अभिनंदन किया। बोर्ड के सदस्यों ने विशेष आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति का संज्ञान लिया।

प्रारम्भ में माननीय विधायक एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड डॉ. संयम लोढा ने कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय के निर्देश पर प्रबंध बोर्ड की बैठक रद्द करने पर आपत्ति जताई, उन्होंने दोहराया कि विधान सभा में भी उन्होंने इस आपत्ति का उल्लेख किया है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पास अधिनियम के तहत ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी कार्य करने को बाध्य है। इससे परे कोई निर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए। निर्णय लिया गया कि प्रबंध बोर्ड की भावनाओं से कुलाधिपति महोदय को अवगत कराया जाए।

तत्पश्चात विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित प्रबंध बोर्ड के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में पारित निर्णयों/संकल्पों का कार्य सूचीवार विवरण निम्नानुसार है :–

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण
4–1	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबन्ध बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 12.10.2021 के निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट (अनुलग्नक–1) का अनुमोदन।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4–2	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 09.11.2021 के कार्यवृत्त (अनुलग्नक–2) का अनुमोदन। निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। डॉ. संयम लोढा द्वारा वरिष्ठ परामर्शदाता (शैक्षणिक एवं विनियमन) की योग्यता और किए गए कार्यों के संबंध में प्रश्न उठाया, प्रबंध बोर्ड को उनके बारें में विस्तृत रूप में अवगत कराया गया, जिस पर प्रबंध बोर्ड ने नियुक्ति की सराहना की।
4–3	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की विद्यापरिषद् की विशेष बैठक–I (दिनांक 15.12.2021) एवं विशेष बैठक–II (दिनांक 28.12.2021) के कार्यवृत्त (अनुलग्नक–3 व 4) का अनुमोदन। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note):** उक्त बैठकों में विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु चयन समिति के लिए विषय–विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया गया, जो मुहरबंद (sealed) लिफाफे में सदन के पटल पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
	निर्णय / संकल्प कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। उक्त बैठकों में विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु चयन समिति के लिए विषय–विशेषज्ञों के पैनल के मुहरबंद (sealed) लिफाफे सदन में खोले गए और सदन द्वारा इनका अनुमोदन किया गया। तदनुरूप पैनल को RPSC भेजकर आगामी कार्यवाही करवाने का निश्चय किया गया। उक्त विचार विमर्श के दौरान विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष, जो कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध बोर्ड में मनोनीत किए गए हैं, स्वेच्छा से सदन से बाहर चले गए अर्थात इस चर्चा के चर्चा के दौरान वे बैठक में उपस्थित नहीं रहे।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

4–4	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की विद्यापरिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 18.02.2022 के कार्यवृत्त (अनुलग्नक–5) का अनुमोदन।
	निर्णय / संकल्प कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। कुलपति महोदय द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय द्वारा इस बैठक के एजेंडा बिन्दु 3–26 एवं 3–33 पर गई कार्यवाही को नवीन कुलपति की नियुक्ति होने पर उनकी अध्यक्षता में होने वाली आगामी विद्यापरिषद / प्रबन्ध बोर्ड की बैठक तक स्थगित रखने हेतु निर्देशित किया गया है। सदस्यों द्वारा उक्त पत्र में लिखित दोनों एजेंडा आइटम (3–26 एवं 3–33) के संबंध में विद्यापरिषद की तृतीय बैठक में की गई कार्यवाही को स्वीकार करते हुए आगामी कार्रवाई तदनुरूप करने का निर्णय किया गया। इस चर्चा के दौरान प्रबंध बोर्ड के सदस्य प्रो. अपूर्वानन्द एवं श्री अमर सिंह राठौड़ द्वारा यह कहा गया कि विश्वविद्यालय के दैनंदिन प्रशासनिक कार्यों तथा प्राधिकारियों के निर्णयों में विश्वविद्यालय अधिनियम से परे / प्रतिकूल किसी भी अधिकारी का हस्तक्षेप समीचीन नहीं है। इस आशय का पत्र राजभवन को संप्रेषित किया जाना चाहिए। जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई।
4–5	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 44(क), (ख) एवं (ग) के अनुसरण में तैयार परिनियमों (Statutes for the Consititution, Powers and Duties of the Finance Committee of the University) के प्रारूप (अनुलग्नक–6) पर विचार एवं अनुमोदन, जिसकी अनुशंसा विद्यापरिषद की तृतीय बैठक में की गई है।
4–6	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 44(क), (ख) एवं (ग) के अनुसरण में तैयार परिनियमों (Statutes for Designation, Manner of Appointment, Powers, Duties and Service Conditions of the Officers of the University) के प्रारूप (अनुलग्नक–7) पर विचार एवं अनुमोदन, जिसकी अनुशंसा विद्यापरिषद की तृतीय बैठक में की गई है।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

4–7	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 48 के अनुसरण में तैयार विनियमों (Regulations for Procedure to be adopted in the Board of Management Committee) के प्रारूप (अनुलग्नक–8) पर विचार एवं अनुमोदन, जिसकी अनुशंसा विद्यापरिषद की तृतीय बैठक में की गई है।
4–8	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 46 एवं 47 के अनुसरण में तैयार आर्डिनेंस (Ordinance for the Certificate and Diploma Courses of Study) के प्रारूप (अनुलग्नक–9) पर विचार एवं अनुमोदन, जिसकी अनुशंसा विद्यापरिषद की तृतीय बैठक में की गई है।
	एजेंडा बिन्दू 4–5, 4–6, 4–7 एवं 4–8 के संबंध में निर्णय / संकल्प परिनियम / विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस के प्रारूप पर गहन चर्चा की गई। सभी सदस्यों का मत था कि परिनियम विश्वविद्यालय की कार्यविधि से संबंधित आधारभूत दस्तावेज हैं। यह बेहतर होगा कि वरिष्ठ परामर्शदाता (अदाकमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार किए गए तथा आंतरिक स्तर पर परीक्षित इन परिनियमों / विनियमों / ऑर्डिनेंस के पुनरीक्षण / परीक्षण / पुनरावलोकन के लिए कुलपति महोदय द्वारा एक समिति बना दी जाए। जिसमें विशेषज्ञ प्रबंध बोर्ड के सदस्य श्री वासिन्द्र मिश्र एवं विश्वविद्यालय में सूचीबद्ध अधिवक्ता भी होंगे। शेष नाम के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया। यह समिति समयबद्ध तरीके से काम करते हुए दिनांक 10 जून 2022 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। कोई भी हितग्राही (Stake holder) अपना अभिमत उस समिति को कुलसचिव के जरिये प्रस्तुत कर सकता है।
4–9	विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्वीकृत विभिन्न शैक्षणिक पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया की प्रस्थिति–प्रतिवेदन (अनुलग्नक–10) एवं आगामी कार्यवाही हेतु अनुमोदन।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	निर्णय / संकल्प एजेंडा पर चर्चा हुई। इस क्रम में राज्यपाल सचिवालय के पत्र का संज्ञान बोर्ड द्वारा लिया गया, जिसके द्वारा तत्कालीन कुलपति महोदय के कार्यकाल के समाप्त होने में कम अवधि शेष होने के कारण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। बोर्ड के सभी सदस्यों का सर्वसम्मत विचार था कि भर्ती प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें केवल कुलपति ही नहीं बल्कि राज्य सरकार एवं कुलाधिपति महोदय के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं तथा इसे विश्वविद्यालय हित में रोका नहीं जाना चाहिए। साथ ही राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त पत्र में वर्णित स्थिति एवं परिस्थितियां भी बदल चुकी है तथा यह भी कि विभिन्न पदों हेतु जारी विज्ञापन के तहत यदि यह भर्ती प्रक्रिया 1 वर्ष में पूरी नहीं होती है तो फिर पुनः विज्ञापन जारी करना होता है । अतः इसे समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इस विषय पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय हित में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए । इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय को भी अवगत करा दिया जाए।
4–10	विश्वविद्यालय में कार्यरत 01 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 06 असिस्टेंट प्रोफेसरों को करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत प्रोन्नति दिए जाने हेतु अब तक की गई कार्यवाही का प्रस्थिति–प्रतिवेदन एवं आगामी प्रक्रिया किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ। व्याख्यात्मक नोट (**Explanatory Note**): • मार्च 2019 में विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरान्त हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 32(3) के अनुसरण में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से स्थानान्तरित होकर 01 प्रोफेसर, 01 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 06 असिस्टेंट प्रोफेसरों द्वारा विश्वविद्यालय में 20 जुलाई, 2019 को कार्यभार ग्रहण किया गया। • हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 32(3) में यह व्यवस्था दी गई है कि .... "वे अध्यापक, जिन्हें हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 33) के निरसन के पश्चात् राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किया गया था, उनकी सेवाएं प्रत्यावर्तित हो जाएंगी और उनकी सेवाएं, उनकी आरम्भिक नियुक्ति की तारीख से समस्त प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय में दी गई समझी जाएंगी।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	• विश्वविद्यालय द्वारा CAS हेतु आवदेन प्रपत्र तैयार करवा कर सभी कार्यरत शिक्षकों से प्रोन्नति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए तथा सभी शिक्षकों के आवेदन प्राप्त हो गए हैं।
	<u>निर्णय / संकल्प</u> प्रस्थिति प्रतिवेदन पर चर्चा हुई। सभी सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को CAS के तहत नियमानुसार प्रोन्नति देने पर सहमति जताई गई। विश्वविद्यालय जो कि 2019 से प्रारंभ हुआ है तथा उक्त शिक्षकों की नियुक्ति पूर्व HJU में वर्ष 2013 में की गई थी। तत्पश्चात वर्ष 2016 में इन्हें राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया तथा वर्ष 2019 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना होने पर इन्हें इस विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसे में सेवावधि की गणना एवम् सेवा लाभ से संबंधित परिवेदनाओं के निस्तारण के लिये Grievance Redressal Committee (GRC) का गठन किये जाने का निश्चिय किया गया। Grievance Redressal Committee (GRC) में प्रशासनिक एवम् वित्त विभाग के प्रतिनिधि को लिया जायें। समिति के गठन के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।
4—11	डॉ. मनोज कुमार लोढा की नियुक्ति के मामले में कुलपति द्वारा गठित तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट पर विचार करना और कार्रवाई की दिशा तय करना। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note):** 1. डॉ. सत्येंद्र सिंह राठौड द्वारा ई—मेल के माध्यम से डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसर (मीडिया अध्ययन) के संबंध में एक शिकायत (अनुलग्नक—11) दर्ज कराई गई थी कि नियुक्ति के समय उनके पास अपेक्षित अनुभव नहीं था। मामला वरिष्ठ सलाहकार (अकादमिक और विनियमन) को भेजा गया था और उन्होंने अनुशंसा की कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. मनोज कुमार लोढा, यूजीसी के प्रचलित नियमों के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे। इसके फलस्वरूप एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया गया।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	1. तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट (अनुलग्नक–12) और कुलपति द्वारा दिनांक 03 मार्च 2012 की फाइल नोट प्रबंध बोर्ड के विचार एवं आगामी कार्रवाई हेतु संलग्न हैं। 2. तथ्यान्वेषी समिति ने विस्तृत तथ्य पत्रक तैयार किए हैं और निष्कर्ष निकाला है कि कार्यालय द्वारा समिति को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और सूचना तथा विभिन्न दस्तावेजों के आधार पर यह राय है कि डॉ. मनोज कुमार लोढा निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता को पूरा नहीं करते थे, विशेष रूप से यूजीसी विनियम 2010 में विशेष रूप से 4.3.0 (III और IV) और विश्वविद्यालय द्वारा अपने विज्ञापन में अधिसूचित किया है। उन्हें चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करना अनुचित था क्योंकि वे यूजीसी विनियम 2010 विशेष रूप से 4.3.0 (III और IV) के कारण मीडिया स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए पात्र नहीं थे। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी कानून के अन्तर्गत आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकते हैं। 3. विश्वविद्यालय द्वारा तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट पर कानूनी राय मांगी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता का मत है कि ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. मनोज कुमार लोढा ने तथ्यों की गलत बयानी या गलत/अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करके नियुक्ति प्राप्त की है, इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा डॉ. मनोज कुमार लोढा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू करना पूरी तरह से न्यायसंगत होगा। (अनुलग्नक–13) 4. वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा है कि यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि उच्चता के खिलाफ कोई रोक नहीं है (that there is no estopped against the stature) और जब यह पाया गया कि डॉ. मनोज कुमार लोढा के पास विनियम 4.3.0 यूजीसी विनियम 2010, के मानदंडों में अपेक्षित योग्यता या पात्रता नहीं थी, ऐसे में उनके लिए एसोसिएट प्रोफेसर, (मीडिया स्टडीज) के पद पर विचार और नियुक्ति की मांग करने का कोई औचित्य या आधार नहीं था। डॉ. मनोज कुमार लोढा को किसी भी तरह से अपनी गलती का फायदा उठाने नहीं दिया जा सकता है।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

5. तत्कालीन कुलपति ने फाइल पर राय दी कि गंभीरता को देखते हुए डॉ. मनोज कुमार लोढा को निलंबित करने और उनकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए कानून के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, जो कि उनके द्वारा आवेदन में हस्ताक्षरित "घोषणा" के अनुरूप होगा जोकि निम्नानुसार है – मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ "––– मैं समझता हूं कि किसी भी जानकारी के गलत, अपूर्ण या गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/समाप्त की जा सकती है।"
6. तत्कालीन कुलपति ने आगे कहा, चूंकि उनका कार्यकाल कुछ दिनों में समाप्त हो रहा है, इसलिए उपर्युक्त कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होने के बावजूद, मैं इस पूरे मामले को इस नोट के साथ प्रबंध बोर्ड के समक्ष उसकी आगामी बैठक में रखना उचित समझता हूँ। (अनुलग्नक–14)
7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में इस कार्यसूची मद पर कार्रवाई के संबंध में निर्णय के लिए प्रबंध बोर्ड के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।
8. तथ्यान्वेषी समिति द्वारा उद्धृत दस्तावेज, वरिष्ठ अधिवक्ता की राय और कुलपति द्वारा फाइल नोट यहां रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध हैं जोकि आवश्यकता होने पर प्रबंध बोर्ड के सदस्यों द्वारा देखे जा सकते हैं।

<u>निर्णय/संकल्प</u>

डॉ. मनोज कुमार लोढा की नियुक्ति के मामले में तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा गठित तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट से सभी सदस्य प्रथम दृष्टया सहमत हुये। सभी सदस्यों का एक मत था कि चूंकि विश्वविद्यालय ने एसोसिएट प्रोफेसर (मीडिया स्टेडीज) के पद पर एक अपात्र उम्मीदवार की नियुक्ति की गई, इस लिए भर्ती किए गए व्यक्ति की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त/टर्मिनेट कर दी जानी चाहिए, लेकिन अन्त में इस बात पर सहमति बनी कि डॉ. मनोज कुमार लोढा द्वारा किए गए लिखित अनुरोध के आलोक में उन्हें तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का अन्तिम अवसर दिया जाना उचित होगा।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	तदनुसार निर्णय किया गया कि इसके लिए प्रबंध बोर्ड में से 2 सदस्यों की समिति बनाई जाये। निर्णयानुसार समिति गठित करते हुए प्रो. अपूर्वानंद एवं श्री अमर सिंह राठौड को सदस्य तथा कुलसचिव, विश्वविद्यालय को प्रेजेटिंग ऑफिसर कम सदस्य सचिव बनाया गया। डॉ. मनोज कुमार लोढा इस समिति के समक्ष अपना पक्ष रख सकेंगे। बैठक में वित्त विभाग के प्रतिनिधि महोदय का मत था कि डॉ. मनोज कुमार लोढा को पत्र दिए जाने के उपरांत उच्च न्यायालय में इस संबंध में केविएट भी दायर करवा दी जाए। इस विचार पर सभी सदस्यों ने सहमति जाहिर की। यह समिति आदेश जारी होने से 15 कार्य दिवस में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस मामले में समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रबंध बोर्ड की बैठक में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।
4–12	**प्रतिवेदनीय एजेंडा**
4–12–1	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 43 के अनुसरण में राज्य सरकार को प्रेषित वर्ष 2020–21 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (अनुलग्नक–15) का अनुसमर्थन।
	निर्णय / संकल्प विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4–12–2	विश्वविद्यालय में वर्ष 2022 के लिए जारी अवकाश कलैंडर (अनुलग्नक–16) का अनुसमर्थन।
	निर्णय / संकल्प विश्वविद्यालय के वर्ष 2022 के लिए जारी अवकाश कलैंडर का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4–12–3	विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के मध्य विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आवंटन हेतु प्रबंध बोर्ड के निर्णय से इतर एवं पूर्ववर्ती आदेशों के अतिक्रमण में जारी आदेश (अनुलग्नक–17) का अनुसमर्थन। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note):** विश्वविद्यालय के दैनन्दिन कार्यो के सुचारू संचालन हेतु शैक्षणिक परिसर में विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासन का पुर्नआवंटन किया गया है। इस क्रम में पूर्व में प्रबंध बोर्ड की द्वितीय बैठक के एजेण्डा बिंदू संख्या 2–11 अनुपालना में निदेशक, शैक्षणिक

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर (राजस्थान)

	परिसर को कतिपय प्रशासनिक दाायित्व सौपें गए थे। उक्त नवीन आदेश में इसके स्थान पर समन्वयक (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक) के दायित्व आंवटित किए गए है।
	निर्णय / संकल्प विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
4–12–4	विश्वविद्यालय को दहमीकलां, अजमेर रोड, जयपुर में राज्य सरकार द्वारा आंवटित भूमि पर भवन निर्माण की अब तक की प्रगति (अनुलग्नक–18) से अवगत करवाए जाने हेतु।
	निर्णय / संकल्प विश्वविद्यालय को दहमीकलां, अजमेर रोड, जयपुर में राज्य सरकार द्वारा आंवटित भूमि पर भवन निर्माण की अब तक की प्रगति से संतोष जताया तथा सराहना की गई।
4–12–5	विश्वविद्यालय के दहमीकलां स्थित परिसर में भवन के शिलान्यास समारोह की रिपोर्ट अनुलग्नक में संलग्न है। (अनुलग्नक–19)
	निर्णय / संकल्प विश्वविद्यालय को दहमीकलां स्थित परिसर में भवन के शिलान्यास समारोह की सराहना की गई।
4–12–6	विश्वविद्यालय में विगत 02 वर्षो में आयोजित विशेष व्याख्यान, संवाद, परिसंवाद, परिचर्चा, वैबिनार आदि में विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रकारों, विद्वानों, विचारकों, लेखकों एवं आलोचकों की सहभागिता का विवरण अनुलग्नक–20 में संलग्न है।
	निर्णय / संकल्प विश्वविद्यालय में विगत 02 वर्षो में आयोजित विशेष व्याख्यान, संवाद, परिसंवाद, परिचर्चा, वैबिनार आदि में विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रकारों, विद्वानों, विचारकों, लेखकों एवं आलोचकों की सहभागिता का विवरण पर संतोष जताया तथा सराहना की गई।
4–12–7	विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को भेंट में प्राप्त : (क) इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से करीब 1000 पुस्तकें (ख) संस्थापक कुलपति श्री ओम थानवी द्वारा 750 पुस्तके, 400 सीडी / डीवीडी / कैसेट का विशेष उल्लेख।
	निर्णय / संकल्प विश्वविद्यालय में पुस्तकालय को समृद्ध किये जाने के क्रम में किये गये नवाचार के लिए संस्थापक कुलपति श्री थानवी के प्रयास की सराहना की गई। उनके द्वारा प्रदत्त पुस्तकों इत्यादि के लिये आभार व्यक्त किया। सदस्यों ने श्री थानवी तथा इण्डिया

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर (राजस्थान)

	इन्टरनेशनल सेन्टर को पत्र द्वारा आभार व्यक्त किए जाने का आग्रह किया।
4–12–8	विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबंध बोर्ड के अशासकीय सदस्यों में से श्री अमर सिंह राठौड की मनोनयन अवधि बढाए जाने संबंधी आदेश का अनुसमर्थन। (अनुलग्नक–21) **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note):** विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा श्री अमर सिंह राठौड को वित्त समिति में बोर्ड के अशासकीय सदस्य के रूप में 27.02.2022 तक के लिए मनोनीत किया गया था। प्रबंध बोर्ड की बैठक मे इस संबंध में निर्णय लिए जाने से पूर्व वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.04.2022 को होनी थी। अतएव विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 19 मे कुलपति महोदय की प्राप्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमर सिंह राठौड को मनोनयन अवधि दिनांक 26.07.2022 तक बढाई गई। उक्तानुसार जारी आदेश का अनुसमर्थन।
	<u>निर्णय / संकल्प</u> विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
4–12–9	विश्वविद्यालय में वरिष्ठ परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17(2)(ख) के प्रावधानुसार एक वर्ष के लिए श्री अशोक के. नगावत की परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने संबंधी का आदेश (अनुलग्नक–22) का अनुसमर्थन।
	<u>निर्णय / संकल्प</u> विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
4–12–10	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सलाहकार के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17(2)(ख) के प्रावधानानुसार एक वर्ष के लिए डॉ. विवेक की परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने संबंधी का आदेश (अनुलग्नक–23) का अनुसमर्थन।
	<u>निर्णय / संकल्प</u> विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

4–12–11	विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से प्राप्त पद–स्वीकृतियों के मद्देनज़र सहायक कुलसचिव के रिक्त पद के विरुद्ध श्री राजेश तन्खा, सेवानिवृत कार्मिक की पुनर्नियुक्ति संबंधी आदेश (अनुलग्नक–24) का अनुसमर्थन।
	निर्णय / संकल्प विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
4–12–12	विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से प्राप्त पद–स्वीकृतियों के मद्देनज़र श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अनुभागाधिकारी की संविदा आधार पर पुनर्नियुक्ति एक वर्ष के लिए बढ़ाने संबंधी आदेश (अनुलग्नक–25) का अनुसमर्थन।
	निर्णय / संकल्प विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
4–12–13	विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से प्राप्त पद स्वीकृतियों के मद्देनज़र वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध श्री मुरली मनोहर गुरनानी, सेवानिवृत कार्मिक की पुनर्नियुक्ति संबंधी आदेश (अनुलग्नक–26) का अनुसमर्थन।
	निर्णय / संकल्प विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
4–13	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से
4–13 (i)	विश्वविद्यालय में उपयोग हेतु वाहन लिए जाने बाबत **निर्णय / संकल्प** प्रबंध बोर्ड ने सर्वसम्मति से कुलपति के लिए एक एसयूवी वाहन और विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग के लिए एक सेडान कार क्रय किए जाने का संकल्प पारित किया। तदनुसार प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग से स्वीकृति हेतु निवेदन किए जाने का निर्णय किया गया।
	पटल कार्यसूची (टेबल एजेंडा)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

4–14	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की विशेष बैठक –III दिनांक 20.04.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4–15	विश्वविद्यालय की वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 25.04.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4–16	विश्वविद्यालय द्वारा रेडक्रॉस एवं अन्य के साथ किए गए विभिन्न समझौता ज्ञापनों (MOU) की पुष्टि।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4–17	विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के लिए, लिए गए वाहन (10.02.2022 से 08.03.2022 एवं 10.03.2022 से 08.04.2022 तक) की स्वीकृत राशि के अतिरिक्त राशि के भुगतान की पुष्टि बाबत।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा यह भी कि वर्तमान कार्यवाहक कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय से किसी वाहन की आवश्यकता नहीं व्यक्त की गई है।

(डॉ. देव स्वरूप)
कुलपति

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

(अबु सुफियान चौहान)
कुलसचिव

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)